आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

28.02.2023

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या– 03/2013–14

लखन ठाकुर वगै0

–बनाम–

प्रहलाद कुमार प्रमाणिक वगै0

28.02.2023

Rivinist (आवेदक):– प्रथम पक्ष

1. लखन ठाकुर
2. पुष्पा देवी, पे0– लखन ठाकुर
3. अरूणा देवी
4. युधिष्टिर ठाकुर
5. लोक नाथ ठाकुर
6. निर्मय ठाकुर
7. उत्तम कुमार ठाकुर सभी पे0– लखन ठाकुर, माता– स्व0 अन्पूर्णा देवी, सा0– चौकीदाव, थाना– नगर, जिला– साहेबगंज।

Rivinist द्वितीय पक्ष – शांति देवी, पति– रमिनमोहन ठाकुर, सा0– मालसुंधिया, थाना– पत्थरगामा, जिला– गोड्डा।

विपक्षी – प्रलाद कुमार प्रमाणिक, पे0– स्व0 लडडू प्रमाणिक, सा0– मैसमारी, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदिका अनपूर्णा देवी, पति– श्री लखन ठाकुर, पिता– स्व0 हरिहर नापित, सा0– चौकीढाव, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 (प्रहलाद कुमार प्रमाणिक –बनाम– अन्नपूर्णा देवी वगै0) में दिनांक– 02.09.2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर संशोधन वाद दायर किये है। आवेदिका के आवेदन से संतुष्ट होकर वाद को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी उपस्थित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से नामांतरण अपील वाद सं0– 07/11–12 का मूल अभिलेख प्राप्त।

सुनवाई के दौरान आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ एक आवेदन दाखिल कर उनके वारिशान को इस वाद में पक्षकार बनाने हेतु अनुरोध किया गया। उभय पक्षों के सहमति से स्व0 अन्नपूर्णा देवी के वारिशान को पक्षकार बनाकर सुनवाई की गई।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	आवेदकगण (Rivinist) के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि अंचल राजमहल अन्तर्गत मौजा– मालकसवा 86 जमाबंदी सं0– 75/6, दाग नं0– 411, रकवा– 01बीघा 1 कठ्ठा 16 धूर, 412 रकवा– 02 बीघा 17 कठ्ठा 10 धूर एवं 421 रकवा 4 बीघा 19 कठ्ठा 16 धूर कुल रकवा 08 बीघा 19 कठ्ठा 02 धूर जमीन पंजी– II में सीताराम नापित, पिता– स्व0 विशेश्वर नापित एवं हरिहर नापित, पिता– स्व0 विपीन नापित के नाम से दर्ज है। दोनो उक्त भूमि के आधा–आधा अपने हिस्से में कर लिये है। आवेदिका (अनपूर्णा देवी) हरिहर नापित की पुत्री है एवं विपक्षी प्रहलाद प्रमाणिक सीतराम नापित के पुत्र है। आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि दोनो खतियानी रेयतों के वंशज द्वारा अलग–अलग मौजा का जमीन निबंधित बन्टन दलिल से हिस्सा प्राप्त कर दखलकार बनें। खतियानी रैयत सीताराम नापित ने अपना 1/2 हिस्सा दाग नं0– 411, 142 एवं 421 का भूमि निबंधित दस्तावेज सं0– 1444/1947 के माध्यम से महावीर हजारी को बेच दिया। कुल रकवा 08 बीघा 19 कठ्ठा 02 धूर के अन्दर 04 बीघा 09 कठ्ठा 11 धूर भूमि बेच दिया गया। दाग नं0– 465 रकवा 06 बीघा 16 कठ्ठा 02 धूर की आधी भूमि आवेदिका निबंधित दस्तावेज सं0– 4372/1990 एवं 4407/1990 के माध्यम से बिक्री कर चुकी थी, जो उनके पिता हरिहर नापित के हिस्से की भूमि थी। उसके बावजूद की भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को सम्पूर्ण दस्तावेज को देखे बिना नामांतरण वाद सं0– 87/2011–12 को अपास्त कर दिये। जो कानूनन गलत है। टाईटिल अपील वाद सं0– 28/2007 (युधिष्ठिर ठाकुर –बनाम– विश्वम्बर ठाकुर) में जिला जज द्वारा अपील को अपास्त (Set-aside) कर दिया गया है। फिर विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल ने अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 87/2011–2012 में दिनांक– 25.10.2011 को पारित आदेश को (Set-aside) कर दिया गया, जो न्यायहित में गलत है। उनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 में दिनांक– 02.09.2013 को पारित को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा– मालकसवा, जमाबंदी नं0– 75/06, दाग नं0– 411, 412 एवं 421 कुल रकवा 08 बीघा 19 कठ्ठा 02 धूर के खतियानी रैयत सीताराम नापित एवं हरिहर नापित थे। सीताराम नापित के दो पुत्र विश्वम्भर प्रमाणिक एवं लडडू प्रमाणिक हुए। हरिहर नापित के दो पत्नी 1. लीला दासी 2. विन्दा देवी थी। लीला दासी से हरिहर नापित को दो पुत्री हुए 1. अन्नपूर्णा देवी एवं 2. शांति देवी एवं दूसरी पत्नि विन्दा देवी से एक पुत्री संध्या देवी हुए। आगे विपक्षी द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि हरिहर नापित एवं सीताराम नापित के वारिशानों के बीच निबंधन केवाला सं0– 3121/दिनांक– 17.05.1986 के माध्यम से हुए भूमि का विभाजन दाग नं0– 412 कुल रकवा 02–17–10 धूर जमीन के अंदर अन्नपूर्णा देवी को 00–13–4½ धूर शांति देवी को दाग नं0– 412 में	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही
	00–04–12½ भूमि प्राप्त हुई। दाग नं0– 411 में 00–08–11¾ धूर भूमि ओर संध्या देवी दाग नं0– 411 में 00–13–04½ धूर भूमि प्राप्त हुई। दाग नं0– 412 रकवा– 01–19–13 धूर भूमि बिश्वम्भर एवं लडडू को प्राप्त हुआ। उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा विपीन बिहारी नापित की दो पत्निया 1. सरस्वती देवी एवं तथा 2. लखी देवी 1. सरस्वती देवी के एक पुत्र हरिहर नापित जो R.T. है। लखी देवी के एक पुत्र मुरलीधर प्रमाणिक एवं तीन पुत्री अम्बा देवी, विन्दा देवी तथा माया देवी। आगे विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अन्नपूर्णा देवी के पुत्र युधिष्ठिर ठाकुर ने फर्जी तौर पर लीला दासी से दान–पत्र केवाला सं0– 261/92 द्वारा विश्वम्भर प्रमाणिक एवं लडडू प्रमाणिक के हिस्से की भूमि रकवा 01–19–13 धूर, दाग नं0– 412 से लिखवा लिया। उक्त भूमि पर दावा के लिए विज्ञ सबजज, राजमहल तृतीय के न्यायालय में सूट सं0– 03/06 दायर किया। विद्वान सबजज, राजमहल ने निबंधित डीड सं0– 3121/1986 को सही मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिये। युधिष्ठिर ठाकुर द्वारा विद्वान सब जज तृतीय, राजमहल के चुनौती विद्वान जिला जज, साहेबगंज में अपील वाद सं0– 28/07 दाखिल किये। माननीय न्यायालय निबंधित बंटननामा डीड को सही मानते हुए निबंधित दान पत्र सं0– 261/92 की सत्यता को अस्वीकार कर दिये। माननीय जिला जज के पारित आदेश पश्चात् भी अंचल अधिकारी, राजमहल अन्नपूर्णा देवी एवं शांति देवी के नाम से उक्त भूमि को नामांतरण कर दिये। जिसके विरूद्व विपक्षी के विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 दायर किए। सुनवाई उपरांत विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 87/2011–12 को अपास्त कर दिये, जो न्यायहित सल है। उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 दिनांक– 02.09.2013 को पारित आदेश यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मामला मौजा– मालकसवा थाना नं0– 86, जमाबंदी नं0– 75/6, दाग नं0– 412, रकवा– 01–19–13 धूर। अभिलेख से स्पष्ट है कि अन्नपूर्णा देवी के पुत्र युधिष्ठिर ठाकुर ने लीला दासी से दान पत्र सं0– 261/92 के आधार पर दाग नं0– 412, रकवा– 01–19–13 धूर भूमि लिखवा लिया, जो विश्वम्भर नापित के हिस्से की भूमि थी। युधिष्ठिर ठाकुर ने विद्वान सबजज राजमहल तृतीय के न्यायालय में सूट सं0– 03/06 दायर किया। जिसमें सबजज तृतीय द्वारा बॅटन केवाला सं0– 3121/86 को सही मानते हुए विश्वम्भर नापित एवं लडडू नापित के पक्ष में आदेश पारित किये एवं दान–पत्र केवाला सं0– 261/92 को खारीज कर दिये। उक्त टाईटल सूट सं0– 03/06 में पारित आदेश के विरूद्व विद्वान जिला जज के न्यायालय में टाईटिल अपील वाद सं0– 28/07 दायर किया गया, जिसमें निबंधित दान–पत्र की बैधता को समाप्त कर दिया गया। उक्त दस्तावेज के सही मानते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 में दिनांक– 02.09.2013 को आदेश पारित करते हुए नामांतरण वाद सं0– 87/2011–12 में दिनांक– 25.10.2011 के पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) कर दिया गया जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख में उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि:–

1. टाईटिल अपील वाद सं0– 28/2007 माननीय जिला जज, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि दान पत्र की वैधता एवं उत्तरार्थी के Counter Claim के निर्णय में स्पष्ट है कि उत्तरार्थी के Counter Claim के दावे को सही ठहराया गया है। किन्तु इसका अर्थ निबंधित बंटननामा को प्रभावित करने का कतई नहीं है। दायर सभी स्वत्व वादों एवं टाईटिल अपील सं0– 28/07 में निबंधित बंटननामा को सही मानते हुए निबंधित दान पत्र की वैधता को समाप्त कर दिया है।
2. टाईटिल अपील वाद सं0– 28/07 के निर्णय को निम्न न्यायालय द्वारा गहराई से ना तो अध्ययन किया गया और न ही उसपर भली भाँति विचार किया गया और निर्णय की अंतिम लाईन को ध्यान में रखते हुए पक्षों के बीच निबंधित बँटननामा को अमान्य कर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी कारण से न्यायाहित में उचित नहीं है।
3. वाद भूमि अपीलार्थी के पिता एवं चाचा के नाम से निबंधित बँटननामा के आधार पर नामांतरित किया गया है तथा उनके नाम से लगान रसीद निर्गत की गई है। तो उसी भूखंड को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा हस्थानांतरण के उत्तरार्थी के नामांतरित करने का कोई ठोस कदम दिखाई नहीं पड़ता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2011–12 में दिनांक– 02.09.2013 को पारित आदेश यथावत (Up-held) रखा जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 87/2011–12 में दिनांक– 25.10.2011 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/2/24

उपायुक्त,
साहेबगंज।

28/2/24

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 12:24:06 +05:30
Location: 192.168.29.209